पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कमलेश भाई कांती भाई परमार

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

2014 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18535

02 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या सेवा से निष्कासन की सज़ा, जो कि एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य पर ड्यूटी के समय शराब का सेवन करने और अपने वरिष्ठ अधिकारी से दुर्व्यवहार करने के लिए लगाई गई, आरोपों की गंभीरता की तुलना में असंगत थी?

हेडनोट्स

न्यायालय ने माना कि विभागीय कार्यवाही में कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं हुई है। आरोप गंभीर पाए गए और सिद्ध भी हुए हैं, इसलिए ऐसे अनुशासनहीन आचरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अतः न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता पर लगाई गई सेवा से निष्कासन की सज़ा आरोपों की गंभीरता के अनुपात में असंगत नहीं है। इस प्रकार, यह मुद्दा याचिकाकर्ता के विरुद्ध तय किया गया। (अनुच्छेद - 9)

न्याय दृष्टान्त

भारत संघ एवं अन्य बनाम दिलेर सिंह, (2016) 13 एस.सी.सी. 71

अधिनियमों की सूची

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली (विभागीय कार्यवाही)

मुख्य शब्दों की सूची

सी.आर.पी.एफ; विभागीय कार्यवाही; दुराचार; शराब का सेवन; वरिष्ठ अधिकारी को धमकी; सेवा से निष्कासन; दंड की आनुपातिकता; अनुशासित बल

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 26.04.2011 के आदेश से उत्पन्न वाद, जो कमांडेंट, 159 बटालियन, सी.आर.पी.एफ., गया द्वारा सेवा से निष्कासन हेतु पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री गिरीश चन्द्र झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं की ओर से: श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता; श्री आर. के. शर्मा, केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता; श्री लोकेश, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18535

==

कमलेश भाई कांति भाई परमार, पिता- कांती भाई, निवासी- डुमरौल गाँव, थाना -नडियाद, जिला- खिड़ा, गुजरात ।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. भारत संघ
2. महानिदेशक, सी.आर.पी.एफ., सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
3. विशेष महानिदेशक का कार्यालय, मध्य क्षेत्र, सी.आर.पी.एफ., साल्ट लेक, सेक्टर-3 कोलकाता-700106
4. महानिरीक्षक, बिहार सेक्टर, सी.आर.पी.एफ., पटना, बिहार
5. उप-महानिरीक्षक प्रशासन, रेंज मुजफ्फरपुर, सी.आर.पी.एफ., बिहार
6. कमांडेंट, 159 वीं बटालियन, सी.आर.पी.एफ., गया, बिहार
7. जांच अधिकारी-सह-सहायक कमांडेंट, 159 वीं बटालियन, सी.आर.पी.एफ., गया, बिहार

... ... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गिरीश चंद्र झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अवधेश कुमार पांडेय, वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री आर.के. शर्मा, केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री लोकेश, अधिवक्ता

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 02-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 26.04.2011 को कमांडेंट, 159वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सी.आर.पी.एफ.), गया, अर्थात् उत्तरदाता सं. 6, द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने की सजा दी गई है, साथ ही उत्तरदाता सं. 4 द्वारा दिनांक 01.04.2013 के पारित आदेश को रद्द करने के लिए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 11.03.2004 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/सामान्य कार्य (जी.डी.) के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 24.08.2010 के पत्र के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे उनके कर्तव्यों के निर्वहन में घोर कदाचार के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था, इस आरोप के आधार पर कि 11.01.2010 को लगभग 7:00 बजे शाम को, ऑपरेशन ड्यूटी पर जाने से पहले, उन्होंने शराब का सेवन किया था और अपने सहकर्मियों को धमकी दी थी कि वह उन्हें मार डालेगा। इसके बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता उपस्थित हुए, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया और दोषी होने की बात कबूल की, लेकिन यह कहा कि उन्होंने अपने सहकर्मियों को मारने की कोई धमकी नहीं दी थी। इसके बाद, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और याचिकाकर्ता को दिनांक 03.02.2011 के ज्ञापन के माध्यम से दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न थी, साथ ही यह टिप्पणी थी कि याचिकाकर्ता 15 दिनों की अवधि के भीतर इस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.02.2011 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। अनुशासनिक प्राधिकारी ने तब जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण

पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का इस प्रकार का व्यवहार घोर कदाचार है और यह अनुशासित बल के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए उत्तरदाता सं. 6 द्वारा दिनांक 26.04.2011 को सेवा से हटाने की सजा का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने इसके बाद इस आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की, हालांकि, इसे भी उत्तरदाता सं. 4 द्वारा दिनांक 01.04.2013 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने केवल एक मुद्दा उठाया है, अर्थात् सेवा से हटाने की सजा, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता के अनुपात में अत्यधिक असंगत है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाए और मामले को अनुशासनिक प्राधिकारियों को पुनः विचार के लिए वापस भेजा जाए ताकि सजा की मात्रा के संबंध में नया निर्णय लिया जाए।

4. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ता एफ/159 बटालियन में तैनात था, दिनांक 11.01.2010 को दो प्लाटून को ऑपरेशन ड्यूटी के लिए जाना था और जाँच के दौरान याचिकाकर्ता को अप्रस्तुत पाया गया और वह बी.पी. जैकेट नहीं पहने हुए था। हालांकि, जब कंपनी हवलदार मेजर (सी.एच.एम.) ने उससे पूछा कि वह बी.पी. जैकेट क्यों नहीं पहनी, तो उसने जवाब दिया कि उसे बी.पी. जैकेट पहनने में समस्या है और सी.एच.एम. चाहे तो इसकी शिकायत किसी को भी कर सकता है, इस प्रकार उसके लहजे में कठोरता और अहंकार स्पष्ट था। फिर भी, सी.एच.एम. ने याचिकाकर्ता को असभ्य तरीके से बात न करने के लिए कहा, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपने दुराचरण को जारी रखा और उसने सी.एच.एम. को मारने की धमकी दी, जो पूरी प्लाटून के जवानों की उपस्थिति में हुई। इसके बाद, वहाँ मौजूद अन्य जवानों ने भी याचिकाकर्ता से सी.एच.एम. के साथ अहंकारी व्यवहार न करने का अनुरोध

किया, लेकिन, यह पता चला कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था और वह नशे की हालत में था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को नवीननगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और चिकित्सीय जाँच पर यह पुष्टि हुई कि याचिकाकर्ता ने शराब पी थी और वह नशे की स्थिति में था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 24.08.2010 के ज्ञापन के माध्यम से एक आरोप-पत्र तैयार किया गया, जिसमें उसे 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

5. इसके बाद, दिनांक 26.10.2010 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में विभागीय जांच के संचालन के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने तब विभागीय जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को सिद्ध पाया, जिसके बाद जांच रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को 03.02.2011 के द्वितीय कारण बताओ नोटिस के साथ सौंपी गई और उसे 15 दिनों के भीतर अपनी अभ्यावेदन/जवाब, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जांच रिपोर्ट, याचिकाकर्ता के जवाब और विचार-विमर्श के बाद, कमांडेंट, 159 वीं बटालियन सी.आर.पी.एफ., गया, अर्थात् उत्तरदाता सं. 6 ने 26.04.2011 को आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता पर सेवा से हटाने की सजा दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उपमहानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. रांची रेंज के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेवा में पुनर्बहाली की प्रार्थना की गई, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को उपमहानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., रांची रेंज ने दिनांक 12.11.2011 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। इसके बाद, महानिदेशक, सी.आर.पी.एफ. के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसे आवश्यक कार्रवाई के लिए महानिरीक्षक, बिहार सेक्टर, पटना को भेजा गया, जिसे गहन जांच के बाद किसी

भी योग्यता से रहित पाया गया और इसलिए दिनांक 01.04.2013 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

6. उत्तरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं है, इसलिए यह न्यायालय दिनांक 26.04.2011 के सजा के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, विशेष रूप से क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में स्वयं को दोषी ठहराया है। सजा की मात्रा के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए वह कठोर सजा का पात्र है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने वरिष्ठ के साथ दुर्व्यवहार करने और नशे की स्थिति में होने के आरोप विभागीय जांच के दौरान प्रदर्शनों और गवाहों के बयानों के आधार पर सिद्ध हो गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती, विशेष रूप से क्योंकि सी.आर.पी.एफ. एक अनुशासित बल है और किसी भी अनुशासनहीनता से आपसी संघर्ष हो सकता है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि सजा का उद्देश्य ऐसी अनुशासनहीनता के कृत्यों के खिलाफ निवारण का भाव पैदा करना है, इसलिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाई गई सेवा से हटाने की सजा उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के साथ पूर्णतः समानुपाती है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, जिससे यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के संचालन में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है और याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.04.2011 के सेवा से हटाने के दंड के आदेश को गुण-दोष के आधार पर सही रूप से चुनौती नहीं दी है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क के संबंध में कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा कठोर है, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता एक अनुशासित बल का सदस्य है, इसलिए न केवल यह अपेक्षित था कि वह नियमों का पालन करे, बल्कि उसे अपने कार्यों पर नियंत्रण भी रखना चाहिए था और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की अवहेलना और विचलन निश्चित रूप से बर्खास्तगी की सजा को आकर्षित करेगा और इसे न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला नहीं कहा जा सकता, इसलिए सजा की मात्रा के संबंध में हस्तक्षेप का कोई दायरा नहीं है। इस संबंध में, यह न्यायालय भारत संघ और अन्य बनाम दिलेर सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करेगा, जो (2016) 13 एस.सी.सी. 71 में प्रकाशित है, जिसके अनुच्छेद सं. 22 से 27 का पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः:-

> *"22. उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि अपराधी कर्मचारी, जो बल का सदस्य है, बिना पूर्व अनुमति के शिविर छोड़ नहीं सकता था। इसने यह भी राय दी है कि जब कोई कर्मी शिविर में तैनात होता है, तो वह ड्यूटी पर न होने की अवधि में भी अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता। हालांकि, जैसा कि स्पष्ट है, खंडपीठ ने यह राय दी है कि बर्खास्तगी की सजा, जो एक प्रमुख सजा है, को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लागू नहीं किया जा सकता था। यह राय बिना गुलाम मोहम्मद भट [(2005) 13 एस.सी.सी. 228] में स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनी स्थिति का उल्लेख किए व्यक्त की गई है। इस प्रकार, मूल आधार त्रुटिपूर्ण है।*

23. आक्षेपित आदेश में, रिट न्यायालय ने अखिलेश कुमार [(2007) 6 एस.एल.आर. 438] से एक अंश उद्धृत करने के बाद यह राय दी है कि विवाद कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने गुलाम मोहम्मद भट [(2005) 13 एस.सी.सी. 228] के निर्णय की सराहना करने का कोई प्रयास नहीं किया, हालांकि प्रथम अपीलीय न्यायाधीश द्वारा इस पर भरोसा किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के तर्क का मुख्य बिंदु यह था कि कानून में बर्खास्तगी की प्रमुख सजा दी जा सकती है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी विश्लेषण के इस निष्कर्ष को उलट दिया, केवल कोलकाता उच्च न्यायालय के एक अंश को उद्धृत करके, जिसमें इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ द्वारा गुलाम मोहम्मद भट मामले [(2005) 13 एस.सी.सी. 228] में निर्धारित अनुपात का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पहुंचा गया निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर है।

24. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि भले ही आरोप सिद्ध हो गए हों, परंतु प्राप्त तथ्यात्मक संदर्भ में बर्खास्तगी की सजा पूर्णतः कठोर और विवेक के लिए चौंकाने वाली है। उनका तर्क है कि

सजा असमानुपाती है। उत्तरदाता एक अनुशासित बल का हिस्सा था। उसने बिना पूर्व अनुमति के परिसर छोड़ा, बाजार गया, शराब का सेवन किया और नागरिकों के साथ झगड़ा किया। यह स्थापित हो चुका है कि उसने बाजार में शराब का सेवन किया था, और यह भी सिद्ध हुआ है कि उसने नागरिकों के साथ झगड़ा किया। एक अनुशासित बल के सदस्य से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उनका तर्क है कि सजा पूर्णतः असमानुपाती है। समानुपातिकता की कसौटी को इस न्यायालय ने ओम कुमार बनाम भारत संघ [(2001) 2 एस.सी.सी. 386], भारत संघ बनाम जी. गणयुथम [(1997) 7 एस.सी.सी. 463], और भारत संघ बनाम द्वारका प्रसाद तिवारी [(2006) 10 एस.सी.सी. 388] में स्पष्ट किया है।

25. द्वारका प्रसाद तिवारी मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक अनुशासनिक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दी गई सजा न्यायालय/न्यायाधिकरण की अंतरात्मा को झकझोरने वाली न हो, तब तक हस्तक्षेप का कोई दायरा नहीं है। जब एक अनुशासित बल का सदस्य अनुशासन से इस हद तक विचलित हो जाता है और इस तरह का अनुचित व्यवहार करता है जो कि कल्पनातीत है, तो यह मानना कठिन है कि दी गई बर्खास्तगी की सजा

असमानुपाती और न्यायिक विवेक के लिए चौंकाने वाली है।

26. हम ऐसा सोचने के लिए प्रवृत्त हैं क्योंकि एक अनुशासित बल के सदस्य के रूप में, उत्तरदाता से यह अपेक्षित था कि वह नियमों का पालन करे, अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखे, अपनी प्रवृत्तियों और भावनाओं की रक्षा करे और अपनी भावनाओं को उन्मुक्त नहीं होने दे। यह कोई हल्का विचलन नहीं है जिसके लिए मानव स्वभाव कुछ हद तक उदारता प्रदान करता हो। यह सार्वजनिक स्थल पर किया गया ऐसा आचरण है जिसने प्राधिकारी को यह सोचने के लिए मजबूर किया, और ठीक ही किया, कि यह व्यवहार पूरी तरह से अनुशासनहीन है। उत्तरदाता ने, यदि हम ऐसा कहने की अनुमति दें, आत्म-नियंत्रण, परिश्रम और इच्छाशक्ति की ताकत को अनुचित रूप से दफन कर दिया है। एक अनुशासित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, मैथ्यू अर्नोल्ड के कुछ पंक्तियों को उद्धृत करने के लिए:

> "हम अपनी इच्छा से वह आग नहीं जला सकते
> जो हृदय में निवास करती है,
> आत्मा चलती है और फिर शांत हो जाती है,
> रहस्य में हमारी आत्मा निवास करती है:
> परंतु अंतर्दृष्टि के क्षणों में निर्धारित कार्य

अंधकार की घड़ियों में भी पूरे किए जा सकते हैं।"

[original in English]

"We cannot kindle when we will
The fire which in the heart resides,
The spirit bloweth and is still,
In mystery our soul abides:
But tasks in hours of insight will'd
Can be through hours of gloom fulfill'd."

हालाँकि संदर्भ थोड़ा अलग है, फिर भी हमने महसूस किया है कि यह पुनः प्रस्तुत करने योग्य है।

27. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री [दिलेर सिंह बनाम भारत संघ, 2012 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 19043] को रद्द किया जाता है और प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय बहाल किया जाता है, और उत्तरदाता-वादी द्वारा दायर वाद खारिज किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

9. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है, जो कि सिद्ध भी हो चुके हैं, इसलिए ऐसी अनुशासनहीनता को हल्के में नहीं देखा जा सकता। इस

प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता पर दी गई सजा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता के अनुपात में असमानुपाती नहीं है, इसलिए मामले का यह पहलू याचिकाकर्ता के विरुद्ध तय किया जाता है।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा उपर्युक्त कारणों के लिए, यह न्यायालय इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस्.एसबी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।